रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072021-228242
CG-DL-E-12072021-228242

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2576] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2021/आषाढ़ 21, 1943
No. 2576] NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2021/ASHADHA 21, 1943

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

का. आ. 2781 (अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, मणिपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण, मणिपुर कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :

(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. इलांबाम जाडू सिंह, प्रधानाचार्य, डीएम कॉलेज ऑफ साइंस, धनमंजूरी विश्वविद्यालय, इम्फाल-795001	अध्यक्ष;
2.	प्रौ. थिंगबिजम बिनॉय सिंह डिपार्टमेंट ऑफ लाईफ साइंसेज, मणिपुर विश्वविद्यालय, चांचिपुर-795003	सदस्य;

3.	निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, मणिपुर सरकार	सदस्य सचिव।

2. प्राधिकरण, मणिपुर के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, मणिपुर उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

4. प्राधिकरण, मणिपुर पैरा 5 के अधीन मणिपुर राज्य के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (एस ई ए सी) की सिफ़ारिशों पर अपना निर्णय लेगा।

5. प्राधिकरण, मणिपुर की सहायता के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, मणिपुर की राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (एसईएसी) (जिसे इसमें इसके पश्चात एसईएसी, मणिपुर कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात: -

1	2	3
1.	प्रो. ई. बिजॉय कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मणिपुर विश्वविद्यालय, चांचिपुर-795003	अध्यक्ष ;
2.	प्रो. नाओरोईबाम देवा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, मणिपुर विश्वविद्यालय, चांचिपुर-795003	सदस्य ;
3.	प्रो. क्षेत्री राजेन्द्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, मणिपुर विश्वविद्यालय, चांचिपुर-795003	सदस्य ;
4.	प्रो. सोईबाम्लबोटोम्बी, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, मणिपुर विश्वविद्यालय, चांचिपुर-795003	सदस्य ;
5.	प्रो. लेईताम नाबाचन्द्र सिंह, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, (सीएयू), इरोईसेम्बा-795004	सदस्य ;
6.	डॉ. थंगलाम सोमचंद, मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी, टकयेलपट-795001	सदस्य ;
7.	डॉ. नगांगबाम रोमेजी सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी, लामफेलपट-795004	सदस्य ;
8.	डॉ. मणिचंद्र सानुयजाम, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, मणिपुर विश्वविद्यालय, चांचिपुर-795003	सदस्य ;
9.	डॉ. खोईयान्गबाम राजू सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायमेंटल सांइस, मणिपुर विश्वविद्यालय, चांचिपुर-795003	सदस्य;
10	संयुक्त निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, मणिपुर सरकार	सदस्य सचिव ।

6. एसईएसी, मणिपुर के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एसईएसी, मणिपुर उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगी।

IndiaCode

8. एसईएसी, मणिपुर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. हितों के किसी द्वन्द से बचने के लिए :

(क) प्राधिकरण, मणिपुर और एसईएसी, मणिपुर के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और किस परियोजना प्रस्तावक के साथ जुड़े हुए हैं।

(ख) प्राधिकरण, मणिपुर और एसईएसी, मणिपुर के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात मूल्यांकन (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने में न तो कोई परामर्श देंगें, न ही उससे जुड़ेंगे, जिसका मूल्यांकन प्राधिकरण, मणिपुर और एसईएसी, मणिपुर द्वारा किया जाना है; और

(ग) यदि गत पाँच वर्षों में प्राधिकरण, मणिपुर और एसईएसी, मणिपुर के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए कोई परामर्शी सेवा प्रदान की हैं या ईआईए अध्ययनों का संचालन किया हैं, ऐसी स्थिति में, वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली किसी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, मणिपुर और एसईएसी, मणिपुर की बैठकों में स्वयं सम्मिलित होने से बचेंगे।

10. मणिपुर सरकार, प्राधिकरण, मणिपुर और एसईएसी, मणिपुर के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और वह सचिवालय उनके सभी सांविधिक कार्यों के संबंध में आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता प्रदान करेगा।

11. प्राधिकरण, मणिपुर और एसईएसी, मणिपुर के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता मणिपुर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

IndiaCode

[फा. सं. जे-11013/37/2009.आईए-II(I)]

डॉ. सुजीत कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2021.

S.O. 2781(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Manipur (hereinafter referred to as the Authority, Manipur) comprising of the following Members, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Elangbam Jadu Singh, Principal DM College of Science, Dhanmanjuri University, Imphal-795001	Chairman;
2.	Professor Thingbijam Binoy Singh Deptt of Life Sciences Manipur University, Chanchipur-795003	Member;
3.	Director, Directorate of Environment and Climate Change, Government of Manipur	Member-Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Manipur shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Manipur shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Manipur shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 for the State of Manipur.

5. For the purpose of assisting the Authority, Manipur, the Central Government in consultation with the State Government of Manipur, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as SEAC, Manipur) comprising of the following Members, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Prof E Bijoykumar Singh Department of Economics, Manipur University, Chanchipur-795003	Chairman;
2.	Prof Naoroibam Deva Singh Department of Geography, Manipur University, Chanchipur-795003	Member;
3.	Prof. Kshetri Rajendra Singh Department of Sociology, Manipur University, Chanchipur-795003	Member;
4.	Prof. Soibam Ibotombi Department of Earth Sciences, Manipur University, Chanchipur-795003	Member;
5.	Prof. Leitam Nabachandra Singh College of Agriculture (CAU) Iroisemba-795004	Member;
6.	Dr. Thanglam Somchand Manipur Institute of Technology, Takyelpat-795001	Member;
7.	Dr. Ngangbam Romeji Singh Deptt of Civil Engineering, National Institute of Technology, Lamphelpat-795004	Member;
8.	Dr. Manichandra Sanoujam Deptt of Earth Sciences Manipur University, Chanchipur-795003	Member;
9.	Dr. Khoiyangbam Raju Singh Depp of Forestry & Environmental Science, Manipur University, Chanchipur-795003	Member;
10.	Joint Director Directorate of Environment & Climate Change, Government of Manipur	Member-Secretary.

IndiaCode

6. The Chairman and Members of SEAC, Manipur shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Manipur shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Manipur shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest, -

(a) the Chairman and Members of the Authority, Manipur and SEAC, Manipur shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Members of the Authority, Manipur and SEAC, Manipur shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Manipur and SEAC, Manipur during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Manipur and SEAC, Manipur have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Manipur and SEAC, Manipur in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Manipur shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Manipur and SEAC, Manipur and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority, Manipur and SEAC, Manipur shall be paid as per the rules of the State Government of Manipur.

IndiaCode

[F. No. J-11013/37/2009-IA.II(I)]

Dr. Sujit Kumar Bajpayee, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.12 22:20:40 +05'30'